414

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची।

अधिसूचना

अधि०सं० : प०नि०वि० —08—निबं०—विविध—15/2011 4815(S) दिनांक : 10/7/12

पूर्व में निर्गत अधिसूचना संख्या — 5851(एस) सहपठित ज्ञापांक 5882(एस) दिनांक 10.09.2008 के क्रम में झारखण्ड राज्यपाल के सम्यक रूप से विचार करने के उपरान्त झारखण्ड पथ निर्माण संवेदक निबंधन (संशोधन) नियमावली — 2012 प्रतिपादित करते हैं।

1. (क) यह नियमावली झारखण्ड पथ निर्माण संवेदक निबंधन (संशोधन) नियमावली, 2012 के नाम से जानी जाएगी।

   (ख) यह राजकीय गजट में अधिसूचना प्रकाशन की तिथि से प्रभारी होगी।

   (ग) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।

2. मूल नियमावली के नियम — 3 में 'अप्रर्त्यणीय' शब्द के स्थान पर 'अप्रत्यर्पणीय' हमेशा पढ़ा एवं समझा जाएगा।

3. मूल नियमावली के नियम 4 उप नियम 3 के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् — "4.3 उपरोक्त चारों श्रेणियों के निबंधित संवेदक सम्पूर्ण झारखण्ड में कहीं भी निबंधित श्रेणी तथा निबंधित श्रेणी से एक श्रेणी नीचे की निविदा डालने के लिए सक्षम होगें।"

4. मूल नियमावली के नियम 4 उप नियम 5 के स्थान पर उपनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात् — "4.5 प्रत्येक श्रेणी के लिए निबंधित संवेदक की वरीयता का निर्धारण उनके द्वारा विभाग में समर्पित आवेदन की तिथि से अनुमान्य होगा। निविदा निर्णय के समय वरीयता का निर्धारण गत तीन वित्तीय वर्षों में संबंधित श्रेणी के सफलता पूर्वक किये गए कार्यों के आधार पर होगा अर्थात ज्यादा संख्या में विहित श्रेणी के कार्य पूरा करने वाले संवेदक कम संख्या में कार्य पूरा करनेवाले संवेदक से वरीय माने जायगें। दो अलग श्रेणी के संवेदकों की पारस्परिक वरीयता का आधार भी निबंधित श्रेणी में पूर्ण किए गये कार्यो की संख्या होगी यदि पूर्ण किये गये कार्यो की संख्या समान हो, वैसी स्थिति में उच्चतर श्रेणी के संवेदक को वरीय माना जाएगा।"

5. मूल नियमावली के नियम 5 उप नियम 1 उपभाग 5 में "संयुक्त क्षेत्रीय उपक्रम" के स्थान पर हमेशा "संयुक्त उपक्रम" पढ़ा एवं समझा जाएगा।

6. मूल नियमावली के नियम 7 में निम्नलिखित उपनियम जोड़ा जाएगा "7.4 निबंधित संवेदकों का नवीकरण या उच्च श्रेणी में निबंधित होने के समय विभाग द्वारा दी गयी नियम 6 उपनियम 4 में वर्णित कार्यादेश पंजी भी जमा करनी होगी एवं उक्त अनुरोध पर निर्णय लेते समय अन्य तथ्यों सहित कार्यादेश पंजी एवं नियम— 13 में वर्णित गोपनीय पंजियों में अंकित प्रविष्टियों पर विचार किया जाएगा।"

7. (क) मूल नियमावली के नियम 8 का ही उप नियम 1 के रूप में पढ़ा एवं समझा जाएगा ।

(ख) मूल नियमावली के नियम 8 में निम्नांकित उपनियम जोड़े जाएँगे।

"8.2 रूपये 2.5 करोड़ से ऊपर के निर्माण कार्य की निविदा में अनिबंधित संवेदक भी भाग ले सकते है, परन्तु कार्यादेश दिए जाने के दो माह के अन्दर विभाग में श्रेणी – I में निबंधित होना होगा अन्यथा उन्हें किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं होगा। उक्त अवधि के बाद निबंधन हेतु आवेदन के साथ नियत शुल्क के अतिरिक्त नियत राशि का 50 (पचास) प्रतिशत दण्ड राशि जमा करनी होगी। उन्हें साथ में स्थानीय निवास/कार्यालय का प्रमाण पत्र भी देना होगा। यदि संवेदक उक्त अवधि में भी निबंधन हेतु आवेदन नहीं दायर करते है, तो उनके विपत्रों से नियत शुल्क एवं उतनी ही दण्ड राशि की कटौती की जाएगी और संवेदक को Deemed Registered माना जाएगा।"

"8.3 ऐसे मामले जहाँ निबंधित संवेदकों का नवीकरण कार्य के सम्पादन के अवधि के अधीन आवश्यक हो रहा हो, वैसी स्थिति में निबंधन की अवधि समाप्त होने के पूर्व संवेदक द्वारा नवीकरण अवश्य करा लिया जाय। ऐसा नहीं कराने की स्थिति में विभाग द्वारा, निबंधन का नवीकरण पूर्व की निबंधन अवधि के समाप्ति के तुरन्त बाद से किया जाएगा एवं कंडिका – 8.2 के प्रक्रियानुसार नवीकरण हेतु राशि की कटौती की जाएगी।"

8. मूल नियमावली के नियम 11 उप नियम 1 में निम्नांकित उपभाग जोड़ा जाएगा– "11.1.7 निलंबन की अवधि में उनके द्वारा पूर्व में कराये गये कार्यो का भुगतान भी यदि लम्बित हो तो वह लम्बित रहेगा।"

9. मूल नियमावली के नियम 11 के अंत मे निम्नांकित उपनियम जोड़ा जाएगा – "11.6 कंडिका 10 एवं 11 के उप कंडिकाओं में वर्णित मामलों सहित "संवेदक/फर्म/कम्पनी आदि जो पथ निर्माण विभाग अन्तर्गत निबंधित थे, उनके निबंधन की वैधता अवधि में किये गये एकरारनामा अथवा सम्पादित कार्य के विरूद्ध पायी गयी प्रथम द्रष्टया आरोपों के लिए, अथवा तकनीकी एवं निगरानी जांच में गुणवत्ता दोष, धोखाधड़ी, अभिलेखों से छेड़छाड़ आदि मामले पाये जाने की स्थिति में निबंधन पदाधिकारी काली सूची में डालने अथवा निलंबन की कार्रवाई करने हेतु पूर्ण रूप से सक्षम होंगे, भले ही एतदर्थ कार्रवाई के समय उनकी निबंधन की वैधता अवधि समाप्त हो गयी हो अथवा निबंधन नियमावली अवक्रमित/संशोधित हो गयी हो परन्तु ऐसा करने से पहले संबंधित संवेदक/फर्म/कम्पनी को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाएगा।

10. मूल नियमावली के नियम 13 उप नियम 3 में शब्द में 'प्रतिग्रही' के स्थान पर 'प्रतिग्राही' हमेशा पढ़ा एंव समझा जाएगा।

11. मूल नियमावली में नियम 17 निम्नवत् जोड़ा जाएगा :– " 17. झारखण्ड सरकार चाहे तो संवेदक को पहचान संख्या निर्गत करने तथा उनके विभिन्न विभागों / एजेंसियों इत्यादि में लिए गए कार्य की सूचना इकट्ठा करने एवं नियंत्रित करने के लिए वेवसाइट या अन्य इलेक्ट्रोनिक तरीके से सूचीबद्ध करने का निदेश जारी कर सकती है, जिसके तहत सरकार द्वारा समय – समय पर जारी निदेश के अनुसार निबंधित एवं सूचीबद्ध होना इस राज्य में सरकार एवं सन्निहित कार्यालयों में कार्य करने के लिए अनिवार्य होगा।"

12. मूल नियमावली में नया नियम 18 निम्नवत् जोड़ा जाएगा :–

"18. कठिनाईयों का निराकरण :–

(1) यदि मूल नियमावली एवं इस संशोधित नियमावली के प्रावधानो को लागू करने में कोई व्यवहारिक कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार अवसर की अपेक्षानुसार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा कठिनाईयों के निराकरण के उद्देश्य से इस नियमावली के प्रावधानों को लागू करने हेतु कोई भी कार्रवाई कर सकेगी।

(2) यदि इस नियमावली के किसी नियम की बनावट या निर्वचन के संबंध में कोई शंका हो, तो उसे राज्य सरकार के पथ निर्माण विभाग को निर्दिष्ट किया जाएगा।"

झारखण्ड राज्यपाल के आदेशानुसार

(राजबाला वर्मा) 9.7.2012
सरकार के प्रधान सचिव
पथ निर्माण विभाग।

ज्ञापांक : 4816(S) दिनांक : 10/7/12

प्रतिलिपि : अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, राँची को आगामी झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में सर्व साधारण की जानकारी हेतु प्रकाशनार्थ प्रेषित।

उनसे अनुरोध है कि उसकी एक हजार गजट प्रतियाँ, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड सरकार के उपयोग हेतु उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

9.7.2012
सरकार के प्रधान सचिव
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : 4816(S) दिनांक : 10/7/12

प्रतिलिपि : अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग / सभी मुख्य अभियंता / सभी अधीक्षण अभियंता / सभी कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

9.7.2012
सरकार के प्रधान सचिव
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : 4816(S) दिनांक : 10/7/12

प्रतिलिपि : सरकार के प्रधान सचिव / सचिव / विभागाध्यक्ष, सभी विभाग, झारखण्ड सरकार को सूचनार्थ प्रेषित।

9.7.2012
सरकार के प्रधान सचिव
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।